राजस्व अभिलेखागार
कन्नौज
कलेक्ट्रेट-कन्नौज

न्यायालय उपजिलाधिकारी छिबरामऊ, जनपद कन्नौज

वाद संख्या 61 /2013
रामवेटी बालिका डिग्री कालेज
बनाम
सरकार

धारा– 143 उ0प्र0ज0वि0अ0
ग्राम– तालग्राम
परगना– तालग्राम
तहसील– छिबरामऊ

निर्णय

प्रस्तुत वाद रामवेटी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/ सचिव डा0 अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूँसबंगला फतेहगढ, फर्रुखाबाद के द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया गया है, कि गाटा संख्या 2882छ रकवा 2.40 एकड में से रकवा 1.22 एकड़ यानि 0.4941 हे0 (4941 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल है तथा उक्त आराजी रामवेटी बालिका डिग्री कालेज के नाम अंकित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है, अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जावे।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र की जाँच तहसीलदार छिबरामऊ से करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी आख्या दिनांक 12.08.2013 मय नजरी नक्शा संस्तुति सहित प्रेषित की गयी। आख्यानुसार गाटा संख्या 2882छ रकवा 1.22 एकड यानि 0.4941 हे0 (4941 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर डिग्री कालेज निकवा तालग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त आराजी पर रामवेटी बालिका डिग्री कालेज निर्माणाधीन है तथा मौके पर कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। उक्त भूमि को धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर रामवेटी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/ सचिव डा0 अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूँसबंगला फतेहगढ फर्रुखाबाद की गाटा संख्या 2882छ रकवा 2.40 एकड में से 1.22 एकड़ यानि 0.4941 हे0 (4941 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज को कृषि कार्य, मुर्गीपालन, बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन, सम्वर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखो में अमलदरामद व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

14/8/13
(पी0के0 सक्सेना)
उपजिलाधिकारी छिबरामऊ

अंक 6865
दिनांक 28-6-22
नाम प्रार्थी श्री राजेशकुमार
तैयारी का दिनांक 5-7-22
वितरण का दिनांक 5-7-22
रखमीना

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय उपजिलाधिकारी छिबरामऊ, जनपद कन्नौज

वाद संख्या D 201503390001174 धारा– 143 उ0प्र0ज0वि0अ0

रामवेटी बालिका डिग्री कालेज ग्राम– तालग्राम

बनाम परगना– तालग्राम

सरकार तहसील– छिबरामऊ

निर्णय

प्रस्तुत वाद रामवेटी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/सचिव डा0 अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूँसबंगला फतेहगढ, फर्रुखाबाद के द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र सहित प्रस्तुत किया गया है, कि गाटा संख्या 2882छ रकवा 0.9710 हे0 में से 9.43 ए0 यानी (94.37 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा दखल है तथा उक्त आराजी रामवेटी बालिका डिग्री कालेज के नाम अंकित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। अतः उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किया जावे।

उपरोक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र की जाँच तहसीलदार छिबरामऊ से करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ अपनी आख्या दिनांक 25.05.2015 मय नजरी नक्शा संस्तुति सहित प्रेषित की गयी। आख्यानुसार गाटा संख्या 2882छ रकवा 0.9710 हे0 में से रकवा 9.43ए0 यानी (94.37 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि पर डिग्री कालेज निकवा तालग्राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त आराजी पर रामवेटी बालिका डिग्री कालेज बना है तथा मौके पर कृषि प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। उक्त भूमि को धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा संस्तुत की गयी है अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर रामवेटी बालिका डिग्री कालेज निकवा तालग्राम कन्नौज द्वारा प्रबन्धक/सचिव डा0 अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन्स फूँसबंगला फतेहगढ फर्रुखाबाद की गाटा संख्या 2882छ रकवा 0.9710 हे0 में 9.43 ए0 यानी (94.37 वर्गमीटर) स्थित ग्राम तालग्राम परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज को कृषि कार्य, मुर्गीपालन, बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन, सम्बर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्ध प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखो में अमलदरामद व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखालय की जावे।

30.5.15

(रामबहादुर वर्मा)
उपजिलाधिकारी छिबरामऊ

क्रमांक 6864
दिनांक 18-6-22

कन्नौज

सत्य प्रतिलिपि

नकल ... आदेश दि० 30/8/22 ... वाद सं० T202203400204887 ... [illegible]

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी (तहसील स्तर),न्यायिक
मण्डल :कानपुर,जनपद :कन्नौज,तहसील :छिबरामऊ
वाद सख्या :-4887/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202203400204887
अजयपाल सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रूखाबाद सदर जनपद फर्रूखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02749 की गाटा संख्या 2882णमि0 / 0.2380हे0 है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माणाधीन है एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिबरामऊ से जॉच करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 24.08.2022 (मय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रूखाबाद सदर जनपद फर्रूखाबाद का नाम खतौनी सन् 1426–1431 की फसली के खाता सं0–02749 की गाटा सं0–2882णमि0 / 0.2380हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का 0.2380हे0 हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रूखाबाद सदर जनपद फर्रूखाबाद के द्वारा भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर रहा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा–77 से बाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की चौहदी पूर्व में खेत आनन्द कुमार आदि, पश्चिम में रामबेटी बालिका डिग्री कालेज, उत्तर में निकवा जल किया मार्ग, दक्षिण में खेत भारत सिंह है। निर्धारित कुल शुल्क 5950रू0 जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु0 5950रू0 कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार छिबरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02749 की गाटा संख्या 2882णमि0 / 0.2380हे0 भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्व प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा–80(1) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखो में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

5=130

पृष्ठ संख्या :

सत्य प्रतिलिपि

114

30/8/22
30/8/22

30-8-22

30-8-22

(राकेश कुमार त्यागी)
उप जिलाधिकारी(न्यायिक)
छिबरामऊ

उप जि० मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी
छिबरामऊ

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, छिबरामऊ
मण्डल :कानपुर,जनपद :कन्नौज,तहसील :छिबरामऊ
वाद संख्या :-2030/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202203390002030
अजयपाल सिंह बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रूखाबाद सदर जनपद फर्रूखाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह याचना की गई है कि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02836 की गाटा संख्या 2882णमि0/0.2380हे0 में से 0.081हे0 हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर विद्यालय निर्माणाधीन है एवं उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार छिबरामऊ से जॉच करायी गयी। तहसीलदार छिबरामऊ द्वारा अपनी जॉच आख्या दिनांक 24.08.2022 (मय नजरी नक्शा) प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रूखाबाद सदर जनपद फर्रूखाबाद का नाम खतौनी सन् 1426–1431 की फसली के खाता सं0–02836 की गाटा सं0–2882णमि0/0.2380हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसमें आवेदक का 0.081हे0 हिस्सा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य नही किया जा रहा है तथा पूर्ण रूप से भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर रहा है। आवेदक अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह यादव निवासी सिबिल लाइन फूस बंगला, फतेहगढ तहसील फर्रूखाबाद सदर जनपद फर्रूखाबाद के द्वारा भवन निर्माण कर व्यावसायिक रूप में प्रयोग कर रहा है। उक्त भूमि पर आवेदक द्वारा कुक्कुट पालन/मुर्गी पालन का व्यवसाय नहीं किया जा रहा है। उक्त भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है तथा ग्राम सभा व धारा–77 से वाधित नहीं है व सार्वजनिक न्यूसेंस, सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है तथा महायोजना के अन्तर्गत नहीं है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग/अन्य मार्ग हेतु अधिग्रहीत भूमि नहीं है न ही इस भूमि पर कोई मुआवजा लिया गया है। उक्त भूमि की चौहदी पूर्व में खेत प्रेमा देवी आदि, पश्चिम में एस0जी0आर0 महाविद्यालय, दक्षिण में सडक जल किया मार्ग, उत्तर में यदुनाथ सिह आदि है। जिसका निर्धारित कुल शुल्क 2025रू0 जमा किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा मूल स्टाम्प मु0 2025रू0 कुल ज्यूडिशियल स्टाम्प दाखिल किया गया है। उपरोक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा संस्तुति की गयी है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार छिबरामऊ की उपरोक्त आख्या के आधार पर आवेदक की भूमि स्थित मौजा तालग्राम देहात परगना तालग्राम तहसील छिबरामऊ की खाता संख्या 02836 की गाटा संख्या 2882णमि0/0.2380हे0 में से 0.081हे0 हिस्से की भूमि को कृषि कार्य, मुर्गी पालन व बागवानी (जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन सम्बर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से असम्बद्व प्रयोजनार्थ प्रयोग करने के कारण राजस्व संहिता की धारा–80(1) के अन्तर्गत अकृषित घोषित किया जाता है तथा निर्धारित मालगुजारी से प्रार्थी को अंशानुसार मुक्त किया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का अंग होगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार छिबरामऊ को नियमानुसार अभिलेखो में अमलदरामद हेतु व एक प्रति उपनिबन्धक छिबरामऊ को भेजी जावे। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार की जावे।

पृष्ठ संख्या :

(अशोक कुमार)
उप जिलाधिकारी
छिबरामऊ

सत्य - प्रतिलिपि

प्रार्थी का नाम
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक
नकल तैयारी का दिनांक

कार्यालय तहसीलदार छिबरामऊ, जिला कन्नौज

पत्रांक 125 / प्रमाणपत्र

दिनांक 2/7/22

स्वामित्व प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रामबेटी बालिका डिग्री कॉलेज निकवा तालग्राम कन्नौज के नाम ग्राम तालग्राम देहात में गाटा सं0 2882छ रकवा 0.9710 हे0 में से 0.5060 है तथा 2882ण मि0 रकवा 0.2380 कुल भाग व गाटा सं0 2882ण मि0 रकवा 0.2380 में से 0.0810 हे0 दोनो मिलाकर कुल रकवा 0.8250 हे0 यानी 8250 वर्गमीटर (2.04 एकड) भूमि जो रामबेटी बालिका डिग्री कॉलेज समिति निकवा, तालग्राम, कन्नौज के नाम लीजडीड है। जो समिति के पूर्ण स्वामित्व में उक्त गाटा संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर है। जो पहुँच मार्ग पर स्थित है।

तहसीदार
छिबरामऊ

तहसीलदार
छिबरामऊ (कन्नौज)

Scanned with OKEN Scanner